भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1682

13.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना

1682 **श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बाराः**

श्री शंभू शरण पटेलः

डा. कल्पना सैनी:

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई

श्री सुभाष बरालाः

डा. दिनेश शर्माः

श्रीमती साधना सिंहः

श्री बाबू राम निषादः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च 2024 से अब तक इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसएमईसी) के अंतर्गत आवेदन करने वाले वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी कंपनियों ने भूमि अधिग्रहण अथवा संयंत्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य प्रमुख ईवी केंद्र के रूप में उभर रहे है; और

(घ) क्या अनुमोदित कंपनियों द्वारा तीसरे वर्ष तक अनिवार्य 25 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) लक्ष्य और पांचवें वर्ष तक 50 प्रतिशत डीवीए लक्ष्य प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र निर्धारित किया गया है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) को 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था ताकि वैश्विक निवेश आकर्षित किया जा सके, भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-चौपहिया) के लिए विनिर्माण केंद्र के तौर पर प्रोत्साहित किया जा सके और घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) को बढ़ावा दिया जा सके। आवेदन विंडो 21.10.2025 तक खुली रही, परंतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(घ) : स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृत आवेदक को अपनी विनिर्माण इकाइयों में निर्मित ई-चौपहिया के लिए तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% तथा पाँचवें वर्ष के अंत तक न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना अनिवार्य है। स्वीकृत आवेदक द्वारा प्राप्त डीवीए प्रमाणपत्र की निगरानी भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों द्वारा की जाती है।

.

****